

**क्रमांक: FDS –H(S)-TAP-2020-21-IV-**

**हिमाचल प्रदेश सरकार,  
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ।**

लाहौल एवं पांगी घाटी के लिए वर्ष 2021–22 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के सामान्य ढुलान एवं असामान्य परिस्थितियों में स्थिति घाटी के लिए वाया रोहतांग व कुजंम पास तथा चम्बा से पांगी घाटी के लिये वाया साच पास (यदि भारतीय खाद्य निगम वितरण केन्द्र कारधा से किसी कारणवश आवश्यक वस्तुएं भेजना सम्भव न हो) ढुलान हेतु निविदाओं का आमन्त्रण किया जाता है ।

### 1. पांगी उप–मण्डल एवं लाहौल उप–मण्डल :–

वर्ष 2021–22 के लिए चम्बा जिला के पांगी उप–मण्डल एवं लाहौल एवं स्थिति जिला के लाहौल उप–मण्डल के निम्न वर्णित स्थानों से यथा वर्णित गन्तव्य स्थानों तक खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं तथा गन्दम, गन्दम आटा, चावल, चीनी, नमक, दालें, खाद्य तेल एवं किसी भी अन्य आवश्यक वस्तु (जो बाद में दर्शने योग्य पाई जाये) के ढुलान हेतु मोहर बन्द निविदाएँ आमन्त्रित की जाती है । यह निविदाएं इस नोटिस के प्रकाशन के उपरान्त निदेशालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, ब्लाक नम्बर: 42 एस0डी0ए0 कम्प्लैक्स कसुम्पटी शिमला–9 में 21 मई, 2021 को अपराह्न 1:00 बजे तक तक इस आशय हेतु रखे गये वक्से में डाले जा सकते हैं । ये निविदाएं 21 मई, 2021 को सायं: 2:00 बजे उपरिथित निविदादाताओं के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के आदेशानुसार गठित अधिकारियों की कमेटी द्वारा खोली जाएगी । परिवहन किये जाने वाले खाद्यान्नों एवं आवश्यक वस्तुओं की अनुमानित मात्रा की जानकारी किसी भी कार्य दिवस पर ली जा सकती है ।

### निविदाओं का विवरण :–

क्र0 स0	केन्द्र का नाम जहां से ढुलान किया जाना है ।	गन्तव्य स्थान
1.	भारतीय खाद्य निगम वितरण केन्द्र कारधा / राज्य नागरिक आपूर्ति निगम थोक वितरण केन्द्र कारधा ।	केलंग, उदयपुर, गैमूर, गौदला, कुरछेड़, तिन्दी, मोरिंग, चांगुट, सीसू, सौर, पुर्थी, साच, साहली, सेचू, रेई, कुमार परमार, किलाड़ तथा धरवास, काजा, ताबो, हंसा, गुलिंग व कारधा ।

2.	भारतीय खाद्य निगम वितरण केन्द्र कुलू / राज्य नागरिक आपूर्ति निगम थोक वितरण केन्द्र कुलू ।	कारधा, केलग, उदयपुर, गैमूर, गौदला, कुरछेड, तिन्दी, मोरिंग, वामुट, रीसू, सौर, पुर्थी, साव, साहली, सेवू, रई, कुमार परमार, किलाड तथा धरवास ।
3.	भारतीय खाद्य निगम वितरण केन्द्र मण्डी / सी०डब्ल्य०सी० गोदाम नेरचौक / राज्य नागरिक आपूर्ति निगम थोक वितरण केन्द्र लूणापाणी / मण्डी ।	कारधा, केलग, उदयपुर, गैमूर, गौदला, कुरछेड, तिन्दी, मोरिंग, वामुट, रीसू, सौर, पुर्थी, साव, साहली, सेवू, रई, कुमार परमार, किलाड तथा धरवास, काजा, ताबो, हंसा, गुलिंग तथा कारधा ।
4.	टी०के०डी० कारधा (केवल मिटटी तेल हेतु)	सौर, पुर्थी, सेवू, साहली, साव, किलाड धरवास, रई तथा कुमार परमार ।

2. स्पिति उप—मण्डल (केवल विशेष परिस्थितियों में वाया रामपुर रास्ता बन्द होने की स्थिति में) :-

क्र० स०	केन्द्र का नाम जहां से ढुलान किया जाना है ।	गन्तव्य स्थान
1.	भारतीय खाद्य निगम वितरण केन्द्र कुलू / राज्य नागरिक आपूर्ति निगम थोक वितरण केन्द्र कुलू ।	काजा, ताबो, हंसा तथा गुलिंग ।
2.	भारतीय खाद्य निगम वितरण केन्द्र मण्डी / सी०डब्ल्य०सी० गोदाम नेरचौक / राज्य नागरिक आपूर्ति निगम थोक वितरण केन्द्र लूणापाणी / मण्डी ।	काजा, ताबो, हंसा तथा गुलिंग ।

26

## निविदा की शर्तें :-

1. गोहरबन्द निविदाओं के साथ 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) की धरोहर राशि संलग्न करना आवश्यक है। धरोहर राशि के बिना निविदा अर्थीकार कर दी जाएगी। जिन निविदादाताओं द्वारा दिनांक 23/04/2021 को निविदा के साथ पहले ही धरोहर राशि मुः 25,000/- निदेशालय में जमा करवाई गई है, उन्हें दोबारा धरोहर राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। धरोहर राशि Account Paye Demand Draft or duly pledged Fixed deposit or Bank Guarantee from a commercial bank to safeguard the interest of the Department के रूप में जो अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से प्रतिबन्धित होनी चाहिए। असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि शीघ्र ही वापिस कर दी जाएगी।
2. सशर्त निविदा रवीकार नहीं की जाएगी तथा निर्धारित तिथि / समय के उपरान्त कोई भी निविदा रवीकार नहीं की जाएगी।
3. सफल निविदाकर्ता को सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक, हिंप्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के साथ सात दिनों के भीतर इकरारनामा करना होगा तथा प्रत्येक को मुः 1,00,000/- (एक लाख रुपये) प्रतिभूति राशि Account Paye Demand Draft or duly pledged Fixed deposit or Bank Guarantee from a commercial bank to safeguard the interest of the Department के रूप में प्रतिबन्धित करवाकर जमा करवानी होगी।
4. यदि सफल निविदादाता निर्धारित अवधि तक सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक, हिंप्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के साथ अनुबन्ध करने में असफल रहता है तो उस द्वारा जमा धरोहर राशि को सरकार के पक्ष में बिना कारण बताओ नोटिस दिए जब्त कर दिया जाएगा।
5. परिवहन दरें मुख्य वितरण केन्द्रों / हिंप्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों से तुलाई, लदाई एवं गन्तव्य रथान तक दुलाई और वंहा पर उत्तराई, तुलाई एवं ढांग लगाने सहित तथा यदि कोई सर्विस टैक्स/अन्य टैक्स देय हो तो उसके सहित दी जाये। इस कार्य के लिए परिवहन ठेकेदार को रख्य ही वाहन एवं परिवहन मजदूरी का प्रबन्ध करना होगा।
6. ठेकेदार को खाद्यान्न व अन्य आवश्यक वस्तुएँ ग्रॉस वजन में दी जाएगी तथा परिवहन किराये की अदायगी नैट वजन में की जाएगी। परिवहन के दौरान रास्ते में आई कमी को ठेकेदार से नियन्त्रित मूल्य तथा खुले बाजार में प्रचलित दर के हिसाब से तुलनात्मक (अन्तर) मूल्य की राशि के दोगुने के हिसाब से वसूल किया जाएगा।
7. ठेकेदार को खाद्यान्न व आवश्यक वस्तुएँ सही हालत में सौंपी जाएगी तथा उसी हालत में गन्तव्य रथान पर सम्बन्धित गोदाम प्रभारी को सौंपनी होगी। खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुएँ नभी वाली नहीं ली जाएगी। अतः सम्बन्धित निविदाकर्ता नभी वाली वस्तुएँ प्राप्त न करें।
8. सफल ठेकेदार को खाद्यान्नों / आवश्यक वस्तुओं का दुलान निम्न सारणी अनुसार दिनांक 15.10.2021 तक पूरा करना होगा तथा गन्तव्य रथान तक 31.10.2021 तक

22

पहुंचाकर रसीद प्राप्त करके 15.11.2021 तक सम्पूर्ण बिल अधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे।

- |                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| ✓ जुलाई, 2021   | कुल मात्रा का 20 प्रतिशत |
| ✓ अगस्त, 2021   | कुल मात्रा का 30 प्रतिशत |
| ✓ सितम्बर, 2021 | कुल मात्रा का 35 प्रतिशत |
| ✓ अक्टूबर, 2021 | कुल मात्रा का 15 प्रतिशत |

इस समय सारणी के अनुसार कार्य अमल में न लाने पर प्रतिभूति राशि जब्त करने के साथ अन्य वांछित कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।

9. ठेकेदार को गन्तव्य स्थान पर पहुंचाये गए स्टाक की परिवहन किराये की अदायगी 90 प्रतिशत की जाएगी तथा शेष 10 प्रतिशत राशि का भुगतान परिवहन कार्य पूर्ण होने के बाद किया जाएगा। परिवहन बिल के साथ तोल सारणी / जी0आर0 ठेकेदार को सलंगन करनी होगी। खाद्यान्न प्राप्ति रसीद सम्बन्धित गोदाम प्रभारी से लेकर उसे उप-मण्डलाधिकारी / सम्बन्धित द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होनी चाहिए।
10. परिवहन ठेकेदार को सौंपी गई मात्रा गन्तव्य स्थानों पर एक सप्ताह के भीतर सौंपनी होगी।
11. यदि ठेकेदार ढुलाई करने में असफल रहता है, तो यह कार्य किसी अन्य ठेकेदार से करवाया जाएगा तथा अधिक परिवहन दरें / खर्च होंगे तो प्रतिबन्धित ठेकेदार उन खर्चों का वहन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
12. प्रतिभूति राशि सम्बन्धित ठेकेदार को लेखा परीक्षण के उपरान्त ही वापिस की जाएगी। लेखा परीक्षण के दौरान ठेकेदार के विरुद्ध कोई वसूली निकलती है तो उसे ठेकेदार को जमा करवाना होगा, अन्यथा प्रतिभूति राशि में से वसूली कर दी जाएगी।
13. परिवहन कार्य अधोहस्ताक्षरी / अन्य विभागीय अधिकारियों / क्षेत्रीय प्रबन्धक, हिप्र0रा0ना0आ0 निगम के प्रतिनिधि के निर्देशानुसार ही करना होगा।
14. आयकर/अन्य कर यदि देय हों की कटौती नियमानुसार समय-2 पर किराये के बिलों में से की जाएगी।
15. आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई दरें प्रति किंवटल के हिसाब से दी जाए, जबकि मिटटी तेल की परिवहन दरें प्रति सौ ( 100 ) लीटर के हिसाब से टी0कें0डी0 कारघा से पांगी उप-मण्डल के उक्त दर्शाएं गए स्थानों के लिए दी जायें, जिसमें टैंक, बेरल, टीन, जैरीकेन इत्यादि को ले जाना, खाली लाना भी शामिल होगा।
16. परिवहन ठेके के बारे यदि कोई वाद-विवाद उत्पन्न होता है तो मामला निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हिप्र0 को निपटाने हेतु भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अन्तिम होगा।

17. अनुमानित मात्रा माग अनुसार बढ़ाई-घटाई जा सकती है तथा विभिन्न स्थानों की परिस्थितियों के अनुसार भेजी जा सकती है।
18. अधोहस्ताक्षरी किरणी भी निविदा को विना कारण बताए रखीकार / अस्वीकार कर सकते हैं।

निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं  
उपभोक्ता मामले, हिंप्र० शिमला-९

पृष्ठांकन संख्या: १३२२-३४

दिनांक: २९, अप्रैल, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य स्लूचिव (खा० ना० आ० एवं उप० मामले) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
2. प्रबन्धक निदेशक, हिंप्र०रा०ना०आ० निगम शिमला-०९।
3. आवासीय आयुक्त पांगी स्थित किलाड।
4. उपायुक्त केलांग।
5. अतिरिक्त उपायुक्त काजा।
6. उप-नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा) निदेशालय, खा० ना० आ० एवं उप० मा० शिमला-०९।
7. उप-निदेशक, खा० ना० आ० एवं उप० मामले शिमला-०९।
8. महा प्रबन्धक भारतीय खाद्य निगम शिमला-०९।
9. जिला नियन्त्रक, खा० ना० आ० एवं उप० मामले, मुख्यालय।
10. जिला नियन्त्रक, खा० ना० आ० एवं उप० मामले, मण्डी, कुल्लू, चम्बा व केलांग को प्रेषित कर निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त निविदा को सर्वसाधारण के सूचनार्थ नोटिस बोर्ड पर लगाएं। इसके अतिरिक्त उक्त निविदा की निर्धारित तिथि के सम्बन्ध में गत वर्ष की भान्ति समरत ठेकेदारों तथा हिंप्र० रा० ना० आ० निगम को भी उक्त निविदा के बारे में शीघ्र अवगत करवाएं। निविदा की अन्य शर्तों आदि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी हेतु विभाग की वैवसाईट <http://food.hp.nic.in> पर सम्पर्क करें।

निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं  
उपभोक्ता मामले, हिंप्र० शिमला-९